भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 178

21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएएम के तहत निधियों का आवंटन

178 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष से जुड़ी अन्य विकास योजनाओं (जैसे अनुसंधान, शिक्षा और सेवा प्रदायगी) के तहत निधियों के आवंटन और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) तमिलनाडु में आयुष, विशेष रूप से सिद्ध और आयुर्वेद, अवसंरचना को मज़बूत करने, प्रशिक्षण और लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव/आरोग्य एक्सपो जैसे कार्यक्रमों में केंद्रीय निधियन और अनुसंधान परिषदों की भागीदारी के माध्यम से सहायता प्रदान की है; और

(घ) आयुष को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखरेख, गुणवत्ता आश्वासन और सामुदायिक जागरूकता के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें औषधीय पदार्थों को सूचीबद्ध करना और औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत विशिष्ट वित्तीय वर्ष में संसाधन पूल के आवंटन के समय, तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा एनएएम योजना के कार्यान्वयन के संबंध में की जा रही है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान तमिलनाडु सरकार को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के तहत अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 51,484.398 लाख रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 30,890.639 लाख रुपये और राज्य हिस्सा: 20,593.759 लाख रुपये सहित) की राशि स्वीकृत/जारी की गई है, इसमें आयुष अवसंरचना को मजबूत करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, तथा राज्य में सिद्ध और आयुर्वेद सहित आयुष पद्धतियों के प्रचार और विकास के लिए सार्वजनिक पहुंच शामिल है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय अपनी पांच स्वायत्त अनुसंधान परिषदों, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) के माध्यम से अनुसंधान और साक्ष्य सृजन को बढ़ावा देता है। ये परिषदें विभिन्न अनुसंधान पहल और नैदानिक परीक्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 12 राष्ट्रीय संस्थानों और 5 सैटेलाइट संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ग): जी हाँ। आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर 9 से 11 जनवरी, 2026 तक चेन्नई, तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय स्तर का आरोग्य एक्सपो 2026 आयोजित किया गया था।

(घ): आयुष को मुख्यधारा में लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मुख्य रणनीतियों में से एक है, जिसका उद्देश्य आबादी को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। देश में पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की रणनीति अपनाई है, जिससे मरीजों को सिंगल विंडो के तहत चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के विकल्प मिल सकें। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है। एनएचएम-चिकित्सा सूचना पद्धति (एमआईएस) डेटाबेस के अनुसार 31.12.2025 तक देश भर में 6302 पीएचसी, 3191 सीएचसी और 475 डीएच में आयुष सुविधाओं को सह-स्थापित किया गया है।

आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी (एएसएसयू एंड एच) दवाओं के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। निर्माताओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, एएसएसयू एंड एच दवाओं के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची न और अनुसूची ङ-झ के अनुसार अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित फार्माकोपिया में निर्धारित दवाओं के गुणवत्ता मानकों का पालन करना शामिल है।

ड्रग इंस्पेक्टर नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विनिर्माण फर्मों या बिक्री दुकानों से दवा के नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के तहत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं, और यदि कोई नमूना 'मानक गुणवत्ता का नहीं' पाया जाता है, तो बाजार से उत्पादों की बिक्री रोकने और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

i. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ संगठन है, एएसएसयू एंड एच दवाओं के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देशों और भेषजसंहिता मानकों को निर्धारित करता है, जो एएसएसयू एंड एच दवाओं की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन ए.एस.एस.यू. एंड एच दवाओं के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

ii. पीसीआईएम एंड एच, एएसएसयू एंड एच दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह औषधि नियामक प्राधिकरणों, ड्रग विश्लेषकों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए समय-समय पर मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, और एएसएसयू एंड एच दवाओं के परीक्षण या विश्लेषण के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है,

जिसमें एएसएसयू एंड एच दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों और कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

iii. औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एएसएसयू दवाओं की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि नियम, 1945 के नियम 160 क से ञ के तहत मान्यता दी जा रही है। आज की तारीख तक, औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत निर्माताओं के लिए 118 निजी प्रयोगशालाएं अनुमोदित या लाइसेंस प्राप्त हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कानूनी नमूनों के लिए ए.एस.यू. दवाओं और कच्चे माल की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही हैं।

iv. आयुष मंत्रालय ने आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को घटकों में से एक के तहत उच्च मानकों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) लागू की है।

v. आयुष दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में एक आयुष वर्टिकल बनाया गया है। आयुष वर्टिकल में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर, आयुष दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग इंस्पेक्टरों और सीडीएससीओ के साथ मिलकर विनिर्माण इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण नियमित रूप से करते हैं।

vi. इसके अलावा आयुष मंत्रालय निम्नलिखित विवरणों के अनुसार आयुष उत्पादों के प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है:

- सीडीएससीओ में आयुष वर्टिकल उन आयुष दवाओं को फार्मास्युटिकल उत्पाद का डब्ल्यूएचओ प्रमाण पत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करता है जो ऐसे मानकों का अनुपालन करती हैं।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा लागू गुणवत्ता प्रमाणन योजना के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के आधार पर गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से एएसयू उत्पादों को आयुष मानक और प्रीमियम मार्क प्रदान किया गया है।
- आयुष मंत्रालय आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्ससिल) के माध्यम से आयुष गुणवत्ता मार्क (एक्यूएम) पहल भी लागू कर रहा है। इस ढांचे के तहत, सक्षम सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी वैध गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और वैधानिक अनुमोदनों, जैसे कि जीएमपी, डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, आयुष प्रीमियम मार्क और अन्य मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों, जैसा लागू हो, की जांच और सत्यापन के बाद आयुष गुणवत्ता मार्क प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करना, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना और भारतीय आयुष उत्पादों की विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।

  इसके अलावा, औषधीय पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार पूरे देश में "औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित गतिविधियों का समर्थन किया जाता है:

  (i) सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आदि।

  (ii) इन-सीटू संरक्षण/ एक्स-सीटू संरक्षण।

(iii) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.)/ पंचायतों / वन पंचायतों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी.)/ स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के साथ आजीविका संबंध।

(iv) अनुसंधान और विकास।

(v) औषधीय पौधों की उपज का संवर्धन, विपणन और व्यापार।

(vi) औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में आगे और पीछे का लिंकेज (एकीकृत घटक)।

*****